

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
शिवहर, अररिया, नवादा, जहानाबाद, दरभंगा, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, सीतामढ़ी,
पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), भोजपुर।

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व -104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर
व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में
कुल- 1,53,38,000/- (एक करोड़ तिरपन लाख अड़तीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-98(10)रा0 दिनांक-17.03.2016 के
आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन पर होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु
1301-कार्यालय व्यय मद में कुल- 1,53,38,000/- (एक करोड़ तिरपन लाख अड़तीस हजार) रुपये निम्नांकित
जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	शिवहर	12,75,000	12,75,000
2	अररिया	12,75,000	12,75,000
3	नवादा	12,75,000	12,75,000
4	जहानाबाद	12,75,000	12,75,000
5	दरभंगा	12,75,000	12,75,000
6	वैशाली	12,75,000	12,75,000
7	सहरसा	12,75,000	12,75,000
8	किशनगंज	12,75,000	12,75,000
9	बक्सर	12,75,000	12,75,000
10	सीतामढ़ी	12,75,000	12,75,000
11	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	12,75,000	12,75,000
12	भोजपुर	13,13,000	13,13,000
	कुल	1,53,38,000	1,53,38,000

(एक करोड़ तिरपन लाख अड़तीस हजार) रुपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी एवं राशि का
व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर
व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायेगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0/2 दिनांक-17.04.1998 एवं सं0-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

5. वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानिक राशि से किया जा सकता है।

6. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा0, पटना- 15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा0, पटना- 15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग(बजट) बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा0, पटना- 15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-..... 82-(5)...../रा0, पटना-15, दिनांक-..... 21/3/16.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।